11.9.19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बंटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव दस्तावेज तथा तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्र कमांक भू0अ0/19/2238 दिनांक 24.7.19 द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा वाद पत्र एंव विभाजन प्रस्ताव में अंकित तथ्यों को ही दोहराया तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एंव वाद पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि ख0नं0 2284/2472 रकबा 0.21 है0,ख0नं0 2286 रकबा 0.74 है0 ख0नं0 2401 रकबा 3.61 है0 ख0नं0 2402 रकबा 1.59 है0 ख0नं0 2403 रकबा 0.92 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.07 है0 वाके ग्राम डुकिया तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में वादी का जरिये कय करके 1/3,1/3,1/3 हक हिस्सा दर रकबा हिस्सा 2.11 है0 पर कब्जा काश्त है एंव प्रति0सं0 1 ता 6 भी दर हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त करते है। पक्षकारों के मध्य मौखिक बाहमी बंटवारा हो रखा है,जिसके अनुरूप ही वादी एंव प्रतिवादीगण कब्जा काश्त करते है और बंटवारा करना चाहते है।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.6.2017 की पालना में तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्र कमांक भू0अ0/19/2238 दिनांक 24.7.19 के द्वारा राजस्व ग्राम डुकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आराजी ख0नं0 2284/2472,2286,2401,2402,2403 कुल किता 5 कुल रकबा 7.07 है0 के बाबत बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया है।

अतः तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्र कमांक भू0अ0/19/2238 दिनांक 24.7.19 एवं गुणावगुण के आधार पर वाद वादी फाईनल डिकी किया जाता है । बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। विभाजन प्रस्ताव की कम सं0 2 में ख0नं0 2563/2402 का रकबा 0.6 है0 लिखा हुआ है उसको जमाबंदी के वास्तविक रकबा के अनुसार विभाजन किया हुआ समझा जावे। यदि बैंक का रहन है तो यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिकी जारी हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

Scanned by CamScanner